

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +1907
सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निधि का योजनाबद्ध आवंटन
+1907. श्री सौमित्र खान:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषरूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार अब तक योजनाबद्ध कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;
- (ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों के पर्यटन उद्योग में पर्याप्त प्रगति हुई है;
- (ग) यदि हां, तो विशेषरूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) पिछले एक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में पर्यटन स्थलों का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय पश्चिम बंगाल सहित भारत का एक समग्र पर्यटक गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है। अपनी जारी गतिविधियों के एक भाग के रूप में, यह 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत, "अपनी आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" (डीपीपीएच) और "बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार" (ओपीएमडी) योजना के माध्यम से देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण और संभावित विदेशी बाजारों, वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट (www.incredibleindia.org) के माध्यम से भी नियमित रूप से प्रचार किया जाता है। पूर्वोक्त डीपीपीएच और ओपीएमडी योजना के तहत धनराशि का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग): पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य-वार घरेलू और विदेशी पर्यटक यात्राओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ): पिछले वर्ष के दौरान सितंबर 2021 तक पश्चिम बंगाल राज्य में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं की संख्या निम्नानुसार है ।

| वर्ष 2021 के दौरान पश्चिम बंगाल की घरेलू पर्यटक यात्राएं (एफ़टीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राएं (डीटीवी) | | |
|---|----------------|-------------|
| माह | डीटीवी (अ) | एफ़टीवी (अ) |
| जनवरी | 950585 | 0 |
| फ़रवरी | 828920 | 0 |
| मार्च | 924030 | 0 |
| अप्रैल | 818225 | 437 |
| मई | 313524 | 46 |
| जून | 547957 | 126 |
| जुलाई | 697544 | 79 |
| अगस्त | 1316484 | 177 |
| सितंबर | 1862567 | 150 |
| कुल | 8259836 | 1015 |

अ: अनंतिम

स्रोत: पश्चिम बंगाल सरकार

अनुबंध

पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निधि का योजनाबद्ध आवंटन के संबंध में दिनांक 14.03.2022 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. +1907 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में विवरण

वर्ष 2018-2020 के दौरान राज्य वार घरेलू और विदेशी पर्यटक यात्राएं

| क्र. सं. | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|----------|------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | | घरेलू | विदेशी | घरेलू | विदेशी | घरेलू | विदेशी |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 498279 | 15242 | 505398 | 16206 | 191207 | 5412 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 194767874 | 281083 | 237051508 | 280356 | 70828590 | 67591 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 512436 | 7653 | 555639 | 7825 | 42871 | 961 |
| 4 | असम | 4710617 | 15592 | 5447805 | 26878 | 1266898 | 7285 |
| 5 | बिहार | 33621613 | 1087971 | 33990038 | 1093141 | 5638024 | 308080 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1538796 | 39681 | 1563795 | 44132 | 417953 | 12218 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 19329501 | 14399 | 17304506 | 6817 | 2810227 | 2322 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 609435 | 1608 | 618330 | 1666 | 104959 | 222 |
| 9 | दमन और दीव | 898824 | 5694 | 897804 | 5703 | 297436 | 1382 |
| 10 | दिल्ली | 29114423 | 2740502 | 36467598 | 2983436 | 9583671 | 681230 |
| 11 | गोवा | 7081559 | 933841 | 7127287 | 937113 | 3258715 | 302751 |
| 12 | गुजरात | 54369873 | 513113 | 58864661 | 595607 | 19464517 | 210047 |
| 13 | हरियाणा | 4888952 | 73977 | 4549017 | 48046 | 2114731 | 17474 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 16093935 | 356568 | 16829231 | 382876 | 3170714 | 42665 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 17076315 | 139520 | 16163330 | 57920 | 2519524 | 5317 |
| 16 | झारखंड | 35408822 | 175801 | 35580768 | 176043 | 2574704 | 490 |
| 17 | कर्नाटक | 214306456 | 543716 | 227934714 | 608754 | 77453339 | 165325 |
| 18 | केरल | 15604661 | 1096407 | 18384233 | 1189771 | 4988972 | 340755 |
| 19 | लक्षद्वीप | 10435 | 1313 | 6985 | 820 | 3462 | 413 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 83969799 | 375476 | 88707139 | 327958 | 23519632 | 99819 |
| 21 | महाराष्ट्र | 119191539 | 5078514 | 149294703 | 5528704 | 39234591 | 1262409 |
| 22 | मणिपुर | 176109 | 6391 | 167560 | 13608 | 49669 | 3139 |
| 23 | मेघालय | 1198340 | 18114 | 1245633 | 25813 | 24734 | 2311 |
| 24 | मिजोरम | 76551 | 967 | 163762 | 2249 | 30890 | 265 |
| 25 | नागालैंड | 101588 | 5010 | 125949 | 5577 | 10979 | 518 |
| 26 | उड़ीसा | 15208540 | 110818 | 15307637 | 115128 | 4622273 | 10206 |
| 27 | पुदुचेरी | 1616660 | 141133 | 1713248 | 149919 | 1114942 | 92080 |
| 28 | पंजाब | 44595061 | 1200969 | 47385387 | 1101343 | 16692197 | 359114 |
| 29 | राजस्थान | 50235643 | 1754348 | 52220431 | 1605560 | 15117239 | 446457 |
| 30 | सिक्किम | 1426127 | 71172 | 1421823 | 133388 | 316408 | 19935 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 31 | तमिलनाडु | 385909376 | 6074345 | 494865257 | 6866327 | 140651241 | 1228323 |
| 32 | त्रिपुरा | 414388 | 102861 | 437201 | 154405 | 127815 | 31877 |
| 33 | तेलंगाना | 92878329 | 318154 | 83035894 | 323326 | 39997001 | 46694 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 285079848 | 3780752 | 535855162 | 4745181 | 86122293 | 890932 |
| 35 | उत्तराखंड | 35609650 | 151320 | 37585920 | 152273 | 7005264 | 41339 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 85657365 | 1617105 | 92366025 | 1656145 | 28841732 | 463285 |
| 37 | लद्दाख | - | - | 241285 | 38652 | 6743 | 1126 |
| | कुल | 1853787719 | 28851130 | 2321982663 | 31408666 | 610216157 | 7171769 |

स्रोत: राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

प्रशासन